Before the Central Government
Northern Region Bench, Haryana

In the matter of sub section 4 of the section 13 of the Companies Act 2013 and clause (a) of sub-section (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules 2014

AND

In the matter of M/S ENGAGE & REAP TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED having its Registered Office at Plot No. 76-D, Udyog Vihar, Phase 4, Gurgaon, Haryana 122001

Notice is hereby given to General Public that the Company proposes to make the application to the Central Government under section 13 of the Companies Act 2013, seeking information of alteration of Memorandum of Association of the Company in term of special resolution passed at Extra Ordinary General Meeting held on Friday 19th DAY of JANUARY OF 2024 to enable the Company to change its Registered Office from "State of Haryana" to "State of West Bengal".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change, may deliver either on **MCA Portal** (**www.mca.gov.in**) by filling investor complaint form or cause to be deliver or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and ground of opposition to the Regional Director at the address 4th Floor, IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi 110019, within 14 days of publication of this notice with a copy of the applicant Company at its registered office at the address mentioned below :

ADDRESS OF REGISTERED OFFICE: PLOT NO. 76-D, UDYOG VIHAR, PHASE 4, GURGAON, HARYANA 122001.

For and on behalf of applicant
Ridhima Verma
Director
DIN: 09272226

TINNA TRADE LIMITED

Regd. off.: No. 6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030
Tel.: 011-49518530 Fax: 011-26804883
E-mail: investor.ttl@tinna.in, www.tinnatrade.in
CIN : L51100DL2009PLC186397

NOTICE

Notice is hereby given in terms of Regulations 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 8th February, 2024, at the Registered Office of the company, inter-alia, to consider following :

1. To consider and approve the Standalone unaudited Financial Results of the company for the quarter ended on 31st December, 2023.
2. To consider and approve the voluntary delisting of the company from Calcutta Stock exchange (CSE).

The information contained in this notice is also available on Company's website at www.tinnatrade.in and also on the website of Stock Exchange, i.e. www.bseindia.com

For Tinna Trade Limited

Place : New Delhi
Date: 30.1.2024

Monika Gupta
Company Secretary

Criminal Court, Ludhiana

(complaint 138 negotiable instrument act)

In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich Judicial Magistrate 1st Class, Ludhiana

Kotak Mahindra Bank
Vs.
Ashar Asif Zaidi
CNR NO: PBLD03-007595-2021
COMA/ 7125/2021

Notice to: 1) Ashar Asif Zaidi address- authorised of WFM facility management pvt. ltd r/o 125 first floor, pocket 2, jasola vihar jamian nagar delhi

Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordnary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 04-03-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence Given under my hand and the seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9–10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 फोनः **+91 11 41204444, dmi@dmihousingfinance.in**

[नियम-8(1) देखें]

कब्ज़ा सूचना

(अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन [अधिनियम], 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करता है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 3] के साथ दिनांक 17 अप्रैल–23 को एक मांग सूचना जारी किया गया जिसमें उधारकर्ता बबीता सेंगर पत्नी लवकुश कुमार मिश्रा और लवकुश कुमार मिश्रा पुत्र सहदेव प्रसाद मिश्रा (सह–उधारकर्ता) को उक्त सूचना की दिनांक से 60 दिनों के भीतर में उल्लिखित राशि रुपये 27,29,441/–(रुपये सत्ताईस लाख उनतीस हजार चार सौ इकतालीस केवल) 17 अप्रैल–23 तक, चुकाने के लिए कहा गया।

उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) द्वारा राशि चकाने में विफल रहने पर, ऋणकर्ता(ओं)/ सह–उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/ गारंटर(ओं) को सूचना दिया जाता है। और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002, वर्ष 2024 के 23 जनवरी को।

विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्तियों के साथ लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्तियों के साथ किया गया कोई लेन–देन सूचना में वर्णित राशि के लिए डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। 17 अप्रैल–23 रुपये 27,29,441/– (रुपये सत्ताईस लाख उनतीस हजार चार सौ इकतालीस केवल) और साथ में भुगतान और उस पर व्यय की तारीख तक संविदात्मक ब्याज दर पर अतिरिक्त ब्याज और उस पर खर्च।

सुरक्षित संपत्तियों को भुनाएं के लिए उधारकर्ता/सह– उधारकर्ता/ बंधककर्ता)/गारंटर का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का वह सब हिस्सा और पार्सल जिसमें शामिल है प्लॉट नंबर 21 पर मकान, खसरा नंबर 282, हर्ष विहार कॉलोनी, गांव–चिपियाना बुजुर्ग (रेलवे लाईन के पार) परगना और तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत 201009

निम्नानुसार परिबद्ध :–

उत्तर में	:	शीर्षक विलेख के अनुसार
दक्षिण में	:	शीर्षक विलेख के अनुसार
पूर्व में	:	शीर्षक विलेख के अनुसार
पश्चिम में	:	शीर्षक विलेख के अनुसार

तिथि : 29/01/2024
स्थान : गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

प्राधिकृत अधिकारी
डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

प्रपत्र–जी

प्रत्यूष इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड,
कोटा और भोपाल में विनिर्माण और सेवा में कार्यरत के लिए रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
(भारतीय दिवालियापन और ऋणशोधनाक्षमता बोर्ड के विनियम 36ए के उप–विनियम (1) के तहत)
(कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016)

क्र.सं.	प्रासंगिक विवरण	
1.	पैन और सीआईएन/एलएलपी नं. के साथ कॉर्पोरेट देनदार का नामः	प्रत्यूष इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड सीआईएनः **U45400DL2012PTC44500** पैन : **AAGCP99110R**
2.	पंजीकृत कार्यालय का पताः	बेसमेंट, ए–42 कैलाश कॉलोनी, दिल्ली – 110048
3.	वेबसाइट का यूआरएलः	उपलब्ध नहीं है।
4.	उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल संपत्तियां स्थित हैं:	दिल्ली कार्यालय
5.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता :	लागू नहीं
6.	पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मूल्य :	रु. 4,46,74,168/–
7.	कर्मचारियों/कामगारों की संख्या :	5 व्यक्ति (प्रबंधकीय पद पर 1 सहित)
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूचियों के साथ), लेनदारों की सूची, अधिक विवरण यूआरएल पर उपलब्ध हैं:	**cirp.pratush@gmail.com**, और **brcind@gmail.comij** ईमेल भेजकर आरपी से विवरण मांगा जा सकता है। दावों की सूची यहां उपलब्ध है: **ibbi.gov.in/en/claims/front-claim-details/15340**
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यूआरएल पर उपलब्ध हैः	रुचि की अभिव्यक्ति के लिए विस्तृत आमंत्रण जिसमें संहिता की धारा 25(2)एच के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता शामिल होगी, आरपी से **cirp.pratush@gmail.com**, और **brcind@gmail.com** पर ईमेल भेजकर मांगा जा सकता है।
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथिः	20.02.2024
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथिः	01.03.2024
12.	अनंतिम सूची पर आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथिः	06.03.2024
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	16.03.2024
14.	संभावित समाधान आवेदकों के लिए सूचना ज्ञापन जारी करने की तिथि, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध	21.03.2024
15.	समाधान योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	20.04.2024
16.	अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण जमा करने के लिए प्रक्रिया ईमेल आईडी :	**cirp.pratush@gmail.com**

टिप्पणीः

(1) समाधान पेशेवर/लेनदारों की समिति के पास किसी भी समय ईओआई के लिए मानदंड को बदलने का विवेकाधिकार होगा।
(2) समाधान पेशेवर/लेनदारों की समिति बिना कोई कारण बताए और बिना किसी दायित्व के, नई ईओआई को रद्द/संशोधित/जारी करने या समयसीमा बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
(3) कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के बंद होने की अनुमानित तारीख 22 मई, 2024 है। उपरोक्त समय–सीमा संहिता की धारा 12 के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर विस्तार के अधीन होगी और दी जाएगी।

विश्वा रंजन चटर्जी
दिनांक–31.01.2024 — **समाधान पेशेवर IBBI/IPA-002/IP-N00877/2019-20240/12806**
स्थान –इंदौर — **कृते प्रत्यूष इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड**

तरंगिनी इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड

(CIN: L67190DL1982PLC013486)
पंजी. कार्यालयः के–37ए, बेसमेन्ट, कैलाश कॉलोनी, कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के निकट, नई दिल्ली–110048
ई–मेल आईडीः tarangini0123@gmail.com
वेबसाईटः www.taranginiinvestmentsltd.com

31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों के विवरण का सार

(राशि लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ महीने		समाप्त वर्ष
		31.12.2023	30.9.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.3.2023
		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	11.56	–	–	–	–	–
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	3.97	1.33	(3.05)	2.30	(4.50)	(1.18)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	3.97	1.33	(3.05)	2.30	(4.50)	(1.18)
4.	कर से बाद अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	3.97	1.33	(3.05)	2.30	(4.50)	(1.18)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	–	–	–	–	–	–
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	311	311	310.60	311	311	311
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	–	–	–	–	–	–
8.	आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) मूल एवं तरल (रु. में)	(0.01)	0.04	(0.01)	0.01	(0.01)	(0.004)

टिप्पणीः उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की गई 31 दिस. 2023 को समाप्त तिमाही के तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है।

कृते, तरंगिनी इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड
हस्ता./-
पंकज खेतान
निदेशक
(DIN: 01567415)

तिथिः 30.1.2024
स्थानः नई दिल्ली

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

(पूर्व में इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
पंजीकृत कार्यालयः नंबर 769, स्पेंसर प्लाजा, चौथी मंजिल, फेज– II, अन्ना सलाई, चेन्नई – 600002

कब्जा सूचना (नियम 8(1) के अंतर्गत – अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी मैसर्स इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, कं प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन के तहत ख्अधिनियम, 2002 (2002 का 54), और खनियम 3, के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 ने एक डिमांड नोटिस जारी किया, जिसमें नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित कुल बकाया राशि चुकाने का आह्वान किया गया। चूंकि नीचे उल्लिखित उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर नीचे बताई गई राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 31 की उप–धारा (4) के तहत विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे अनुसूची में उल्लिखित संपत्तियों और किसी भी लेनदेन न करे संपत्तियों के साथ मैसर्स इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और उस पर अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क के प्रभार के अधीन होगा।" सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 31 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।"

क्रं. सं.	उधारकर्ता/गारंटर का नाम	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तिथि और राशि	प्रतीकात्मक कब्जा लेने की तिथि
1	**शाखा – बांसवाड़ा** **ऋण संख्या – SEBN-SWR02 242 1 2** **उधारकर्ता – श्रीमती कला यादव** **सह–उधारकर्ता – श्रीमती राम लाल यादव**	आवेदकः जगजीवन राम, यादव गैर–कृषि संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल आवासीय संपत्ति हैं, जो खसरा नंबर 616/1, ग्राम छोटी सरवन पटवार मंडल छोटी सरवन तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान) में स्थित हैं।) वर्तमान और भविष्य की अधिरचना के साथ क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट उत्तर में– गिरधारी, कालू, रामा और श्रीमती की कृषि भूमि पी, दक्षिण मेः बांसवाड़ा से मुख्य सड़क, रतलाम, पूर्व मेः रायचंद्र का घर, पश्चिम मेः फूलशंकर का घर। मापः 1200 वर्ग. फुट. बांसवाड़ा (राजस्थान) के उप–पंजीकरण जिले और बांसवाड़ा (राजस्थान) के पंजीकरण जिले के भीतर स्थित है।	29–03–2023 और 237784	29–01–2024
2	**शाखा – कोटपूतली** **ऋण संख्या–** **SEKOTPT0333948** **उधारकर्ता–** **श्री प्रकाश** **सह–उधारकर्ता –** **श्रीमती सुमित्रा**	श्रीमती सुमित्रा पत्नी श्री प्रकाश के स्वामित्व वाली गैर कृषि संपत्ति गैर–कृषि संपत्ति के वे सभी टुकड़े और पार्सल, जो आवासीय संपत्ति हैं, रूपांतरण आदेश क्रमांक वाले 2020/315 जिसका खसरा नंबर 655 ग्राम कांजीपुरा, ग्राम पंचायत भूपसेड़ा, पंचायत समिति बानसूर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 249 वर्ग गज/2634 वर्ग. फुट सभी वर्तमान और भविष्य की अधिरचना सहित उक्त संपत्ति के चार कोनेः उत्तरः आम रास्ता, दक्षिणः आम रास्ता, पूर्वः मातादीन का घर, पश्चिमःस्व भूमि माप क्षेत्र 249 वर्ग. गज/2634 वर्ग. फुट बानसूर के उप–पंजीकरण जिले और अलवर के पंजीकरण जिले के भीतर स्थित है।	07–02–2023 और 381860	27–01–2024
3	**शाखा – कोटपूतली** **ऋण संख्या–** **SEKOTPT0182218** **उधारकर्ता – श्रीमती सरोज देवी विक्रम सह–उधारकर्ता – श्री विक्रम ख्याली राम, सुश्री मिश्री देवी ख्याली राम**	गैर–कृषि संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल, चांचकी गांव, रामसिंहपुरा ग्राम पंचायत, कोटपूतली तालुक, जयपुर जिला, राजस्थान में स्थित आवासीय संपत्ति हैं, उक्त संपत्ति के संबंध में जिसका क्षेत्रफल 68 वर्ग गज, (612 वर्ग फुट), सभी मौजूदा और भविष्य अधिरचना के साथ और उस पर घिरा हुआ, उक्त संपत्ति के चार कोनेः– उत्तरः रामकुवर पुत्र श्योनारायण गुर्जर का घर, दक्षिण मेः सामान्य मार्ग पूर्व मेः हाउस ऑफ मनोरी पत्नी .रोताश पश्चिम में मेवा का घर पत्नी हजारी गुर्जर, मापः 68 वर्ग. गज, (612 वर्ग फुट), कोटपुली के उप–पंजीकरण जिले और जयपुर के पंजीकरण जिले के भीतर स्थित संपत्ति के ऋण समझौते–सह–बंधक के तहत।	02–05–2023 और 223686	25–01–2024
4	**शाखा – राजसमंद** **ऋण संख्या–** **SERJMND0299760** **उधारकर्ता–** **श्री रोशन लाल भील** **सह–उधारकर्ता – श्रीमती गणेशी भील**	गैर–कृषि संपत्ति के वे सभी टुकड़े और पार्सल जो आवासीय संपत्ति हैं, निवास नंबर 1126, मकान नंबर 35, रेगारो का मोहल्ला, ग्राम खंडेल, ग्राम पंचायत लापसिया, पंचायत समिति रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद (राजस्थान) में स्थित हैं। .) 313328 (क्षेत्र जिसका माप क्षेत्रफल 570 वर्ग फुट है) उस पर सभी वर्तमान और भविष्य की अधिरचना के साथ उक्त संपत्ति के चार कोनेः पूर्वः उदय राम भील का घर, पश्चिमः गंगाराम, उत्तरः शंकर लाल जाट का खेत, दक्षिणः आम रास्ता रेलमगरा के उप–पंजीकरण जिले और राजसमंद (राजस्थान) के पंजीकरण जिले के भीतर स्थित है।	07–09–2023 और 252973	29–01–2024
5	**शाखा – राजसमंद** **ऋण संख्या–** **SERJMND0162063** **उधारकर्ता – श्री अंबा लाल सालवी सह–उधारकर्ता – श्रीमती नारायणी देवी**	संपत्ति–1, आवेदकः अम्बा लाल साल्वी। भूमि और भवन के सभी टुकड़े और पार्सल 1280 वर्ग फुट की सीमा के साथ इसमें शामिल है। मकान नंबर 27, नई आबादी, ग्राम पंचायत सतलियास पंचायत समिति सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) में सभी वर्तमान और भविष्य की अधिरचना के साथ स्थित है। उत्तर मेः पाड़त भूमि दक्षिण मेः सार्वजनिक मार्ग पूर्व मेः श्याम लाल बैरवा का बाड़ा पश्चिम मेः पाड़त भूमि मापः 1280 वर्ग फुट सहाड़ा के उप–पंजीकरण जिले और भीलवाड़ा (राजस्थान) के पंजीकरण जिले के भीतर स्थित है	10–10–2023 और 184973	29–01–2024
6	**शाखा – राजसमंद** **ऋण संख्या–** **SERJMND0238140** **उधारकर्ता–** **श्री शंकर लाल काना जी भील** **सह–उधारकर्ता श्रीमती कैलाशी शंकर लाल**	गैर–कृषि संपत्ति के वे सभी टुकड़े और पार्सल, जो आवासीय संपत्ति हैं, अरजी नंबर 828, मकान नंबर 86, सदरा गांव, वनाई ग्राम पंचायत, राजसमंद तालुक और जिला, राजस्थान में स्थित हैं, उक्त संपत्ति के संबंध में जिसका क्षेत्रफल 1521 वर्ग .फीट, सभी मौजूदा और फर्चर अधिरचना के साथ और उस पर घिरा हुआ, उत्तरः सार्वजनिक मार्ग, दक्षिण मेः मोहन का घर, पूर्व मेः आवेदक की भूमि, पश्चिम मेः सार्वजनिक मार्ग, मापः 1521 वर्ग फुट, राजसमंद के उप–पंजीकरण जिले और राजसमंद के पंजीकरण जिले के भीतर स्थित संपत्ति के ऋण समझौते–सह–बंधक के तहत।	02–05—2023 और 149649	29–01–2024
7	**शाखा – श्री गंगानगर** **ऋण संख्या–** **SESGGNR0153577** **उधारकर्ता– श्री श्योपतारा तेजाराम** **सह–उधारकर्ता – श्रीमती गौरा देवी श्योपताराम, श्री महेंद्र कुमार तेजाराम, श्रीमती मंजू देवी महेंद्र कुमार तेजाराम**	भूमि और भवन के सभी टुकड़े और पार्सल, 51 वर्ग फुट, ' 100 वर्ग फुट, कुल 5100 वर्ग फुट, पट्टा संख्या 31, प्लॉट संख्या 221, नरसिंहपुरा में स्थित हैं। गाँव, नारनसिंहपुरा ग्रामपंचायत, पदमपुरा पंचायत समिति, श्री गंगानगर जिला (राजस्थान), सभी वर्तमान और भविष्य की अधिरचनाओं के साथ और उनसे घिरा हुआ, उत्तर : श्योपत राम दक्षिणः लालचंदय पूर्व मेः सड़कय पश्चिम मेः रामस्वरूप, मापः 5100 वर्ग फुट, उप–पंजीकरण जिला श्री गंगानगर और श्री गंगानगर के पंजीकरण जिले के भीतर स्थित संपत्ति के ऋण समझौते–सह–बंधक के तहत। साथ में सभी इमारतें और संरचनाएं जो धरती से जुड़ी हुई हैं या धरती से जुड़ी किसी भी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई हैं, वर्तमान और भविष्य दोनों और उनसे जुड़े सभी सुखभोग/मामूल अधिकार।	02–05–2023 और 254651	29–01–2024

दिनांक : 31.01.2024
स्थान : राजस्थान

प्राधिकृत अधिकारी
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी 54 एवं 55, 4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई–600 032.

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के तहत

अधोहस्ताक्षरी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, अधिनियम के अधीन और अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना(एं) जारी की थी, जिसमें निम्नलिखित कर्जदार(रों) से संबंधित सूचना(ओं) में वर्णित राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। अधोहस्ताक्षरी को सकारण विश्वास है कि कर्जदार(कर्जदारगण) मांग सूचना(ओं) को प्राप्त करने से बच रहा है/रहे हैं। अतएव सूचना, नियमों के अनुसार चस्पा करने तथा प्रकाशन के माध्यम से प्रदान की रही है। मांग सूचना(ओं) की विषय–वस्तु का सारांश नीचे दिया गया है :–

क्र. सं.	कर्जदार/रों एवं सह– कर्जदार/रों का नाम और पता	ऋण राशि	मांग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि	सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का वर्णन
1.	**ऋण खाता सं. : HL02BWI000066936** **1. प्रदीप सिंह 2. राजपाल सिंह** **3. मूर्ति देवी** दोनों निवासी :– ग्राम रेवाड़ी खेड़ा, रेवाड़ी 4, भिवानी, रेवाड़ी खेड़ा, ठाकुर जी मंदिर, भिवानी – 127027 ; अन्य पता :– सतनाली खेवट नंबर 702, खतौनी नंबर 1131, निकट बीडीपीओ कार्यालय, सतनाली, ग्राम सतनाली, महेन्द्रगढ, बीडीपीओ कार्यालय, सतनाली, महेन्द्रगढ–123024	**रु. 17,00,000/–**	29–01–2024 रू. 20,24,995/– (रू. बीस लाख चौबीस हजार नौ सौ पिच्यानवे मात्र) 24–01–2024 तक	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : निर्मित सम्पत्ति परिमाप 423 वर्ग फीट, खेवट नंबर 702, खतौनी नंबर 1131, सम्पत्ति स्थित निकट बीडीपीओ कार्यालय, सतनाली, ग्राम सतनाली, महेन्द्रगढ, हरियाणा–123024 ; चौहद्दी – पूरब : कपिल की सम्पत्ति ; पश्चिम : रास्ता ; उत्तर : मकतूल की सम्पत्ति; दक्षिण : मनोज की सम्पत्ति

कर्जदार(रों) को एतद्द्वारा मांग सूचना(ओं) का पालन करने और उसमें और यहां ऊपर वर्णित मांग राशि इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर, भुगतान की तिथि तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउन्स चार्जेज, लागत और व्यय के साथ चुकाने की मांग की जाती है। कर्जदार नोट करें कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड एक प्रतिभूत लेनदार है तथा कर्जदार को उपलब्ध कराई गई ऋण सुविधा अचल सम्पत्ति/सम्पत्तियों, जो कर्जदार द्वारा बंधक रखी गई हैं, के ऐवज में दिया गया प्रतिभूत ऋण है। यदि कर्जदार नियत समय के भीतर अपनी पूर्ण देयताओं को चुकाने में असफल रहेंगे, तो प्रतिभूत लेनदार, अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिनमें प्रतिभूत आस्ति(यों) का कब्जा लेना तथा उनको बिक्री अथवा आह्वान द्वारा हस्तांतरित करने, परंतु उसी तक सीमित नहीं, तथा अधिनियम और तदधीन विरचित नियमों के तहत उपलब्ध अन्य उपाय तथा भुगतान वसूली शामिल है। प्रतिभूत लेनदार बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार प्रवर्तन से पहले प्रतिभूत आस्ति(यों) को संबद्ध तथा/अथवा सील करने का भी अधिकार है। प्रतिभूत आस्ति(यों) की बिक्री के बाद प्रतिभूत लेनदार को बकाया राशि की वसूली के लिए अलग कानूनी कार्यवाही आरंभ करने का भी अधिकार है, यदि बंधक सम्पत्तियों की बिक्री से प्रतिभूत लेनदार की पूरी बकाया राशि का चुकतारा नहीं होता है। यह उपाय प्रतिभूत लेनदारके पास किसी अन्य कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपायों के अतिरिक्त है।

कर्जदार(रों) का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है और इसके अलावा अधिनियम की धारा 13 (13) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, जिसके तहत कर्जदार(रों) पर प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी प्रतिभूत आस्ति का निपटान अथवा संव्यवहार अथवा बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से (व्यवसाय की साधारण विधि छोड़कर) करने पर प्रतिबंध लगा है और इसका अनुपालन नहीं किया जाना एक अपराध है जो अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है तथा कर्जदार, यदि चाहें, अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्यदिवस को सामान्य कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते हैं ।

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
वास्ते चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड

स्थान : महेन्द्रगढ़, हरियाणा
तिथि : 29–01–2024

ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

सीआईन : U67100TZ2014PTC020363
निगमित कार्यालय : कोहिनूर स्क्वॉयर, 47वां तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई – 400028,
ईमेल : mumbai@omkaraarc.com , मोबाइल : 91 9769170774 / 91 9082080789

[परिशिष्ट – IV–ए]

[नियम 8 (1)] 8(6) एवं 6 (2) का प्रावधान देखें, चल एवं अचल संपत्ति के विक्रयार्थ ई–नीलामी की सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (1), नियम 8 (6) एवं 6 (2) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत चल एवं अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता अर्थात् ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल), जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमीकृत एक कंपनी है तथा जो वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) ("सरफॉएसि अधिनियम 2002") की धारा 3 के अंतर्गत एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के साथ विधिवत पंजीकृत है, जिसका सीआईएन न. **U67100TZ2014PTC020363** है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय 9, एम.पी. नगर, प्रथम मार्ग, कोंगू नगर एक्स, तिरुपुर–641607 में एवं निगमित कार्यालय कोहिनूर स्क्वॉयर, 47वां तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई – 400028 में स्थित है, जो ओमकारा पीएस–26/2021–22 के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत् है के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न वर्णित अचल संपत्ति (प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) का विक्रय किया जायेगा। इसने पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएचएफएल) (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विदित) से रेखांकनकारी प्रतिभूतियों के साथ उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता(ओं) / बंधककर्ता(ओं) की संपूर्ण बकाया राशि के समस्त अधिकारों, स्वामित्व एवं हितों का वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 5 के अंतर्गत एसाइंमेंट अनुबंध दिनांकित 30–09–2021 के माध्यम से अधिग्रहण कर लिया है।

इसके अतिरिक्त, अवर जनपदाधिकारी, आगरा द्वारा मेमो सं. 10978 ऑफ 2022 दिनांकित 17–05–2023 के माध्यम से पारित आदेशानुसार, प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी ने 11–01–2024 को प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) का भौतिक अधिग्रहण कर लिया है तथा उक्त परिसंपत्ति(यों) का "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "वहां जो कुछ भी है" आधार पर निम्नांकित तिथि पर विक्रय किया जायेगा, जो कि निम्न वर्णित उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) की ओर से प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुगतेय निम्नांकित देयराशियों की वसूली हेतु किया जायेगा। आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा (ईएमडी) तथा अन्य विवरण निम्न वर्णितानुसार प्रस्तुत हैं :

उधारकर्ता एवं गारंटर के नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति के विवरण	बकाया देयराशियां रु. में	मांग सूचना की तिथि	अधिग्रहण की तिथि	आरक्षित मूल्य (रु.)	धराज (रु.)	निरीक्षण तिथि एवं समय
1) सोनू शर्मा (उधारकर्ता / बंधककर्ता) एवं 2) मंगेश शर्मा (सह–उधारकर्ता)	नगर निगम सं. 18/86 धारक मकान जो मैथान कोतवाली वार्ड तहसील एवं जनपद आगरा – 282003 में स्थित है, जिसका अधिमापन 116.12 वर्ग मीटर है, जो निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व– 10 फुट लेन, पश्चिम– मकान सं. 18/106 राम किशन श्रीवास्तव, उत्तर– मकान सं. 18/85 छोटे लाल वर्मा, दक्षिण– मकान सं. 18/87 जयंती सरन शर्मा	रु. 19,53,173/– (रुपये उन्नीस लाख तिरेपन हजार एक सौ तिहत्तर मात्र) 23–06–2021 के अनुसार प्लस आज की तिथि तक राशि पर संविदागत ब्याज एवं अन्य शुल्क।	23–06–2021 एमएचएफए ल द्वारा	11-01-2024	14,00,000	1,40,000	20–02–2024 2.00 से 4.00 बजे तक

धराज के भुगतान तथा बोली प्रपत्र प्रस्तुति की अंतिम तिथि : 04–03–2024 को 6.00 बजे तक
नीलामी तिथि एवं समय : 05–03–2024 को समय : 3.00 बजे – 05.00 बजे
वृद्धिशील मूल्य : रु. 25,000/–

1. इच्छुक बोलीदातागण जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई–बोलीदान प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में सहायता की आवश्यकता है, वे ई–नीलामी सेवा प्रदाता "मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड", दूरभाष हेल्पलाइन : +91–7291981124 / 25 / 26, हेल्पलाइन ई–मेल आईडी : **support@bankeauctions.com** या श्री भाविक पंड्या, मोबाइल : 88666 82937, ईमेल : **maharashtra@c1india.com** से संपर्क कर सकते हैं।
2. संपत्ति संबंधी किसी भी प्रश्न अथवा अनुसूचीगत संपत्ति के निरीक्षण के लिए इच्छुक व्यक्ति संबंधित प्राधिकृत अधिकारी– कल्पेश ओझा (मोबाइल 9769825323), ई–मेल : **kalpesh.ozha@omkaraarc.com** से अथवा उपरोक्त वर्णित पते पर कार्यदिवसों के दौरान कार्यालय समयावधि में संपर्क कर सकते हैं।

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया **http://omkaraarc.com/auction.php** में दिए गए लिंक को देखें।

सांविधिक हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) व 9(1) एवं 6(2) के अंतर्गत विक्रय की सांविधिक सूचना

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) एवं 6(2) तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता(ओं) /सह–उधारकर्ता(ओं) हेतु, लागत एवं व्ययों के साथ यहां इसमें उपरोक्त तालिका में अंकितानुसार बकाया देयराशियों का भुगतान करके उनके द्वारा यदि वे इच्छुक हैं परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त करने की सलाह के साथ उपरोक्त संदर्भित तिथि एवं समय पर सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से विक्रय कार्यक्रम आयोजित करने के बारे में उन्हें सूचित करते हुये तीस दिनों (30) दिनों की एक अनिवार्य सूचना भी है। भुगतान में चूक की स्थिति में, संपत्ति को प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत ऋणदाता के विवेक पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (5) के अंतर्गत निर्धारितानुसार किसी भी माध्यम से बेचा जाना है।

दिनांक : 31–01– 2024
स्थान : मुंबई

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(ओमकारा पीएस26/2021–22 ट्रस्ट के एक ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत)

HDFC BANK
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

शाखा का पताः हिन्दुस्तान टाईम्स हाउस, द्वितीय तल, 25–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001 फोन : **0522–4272777, 6673726, फैक्सः 0522–2205106**
CIN : L65920MH1994PLC080618 वेबसाइट : **www.hdfcbank.com**

मांग सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 धारा 13(2) के अन्तर्गत

जैसा कि, (माननीय एनसीएलटी–मुम्बई द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2023 के आदेश द्वारा अनुमोदित समामेलन योजना के आधार पर पूर्ववर्ती एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) **(एचडीएफसी)** वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अर्न्तगत **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना जारी कर जहां नीचे सूचीबद्ध ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनिधियों को नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार संबंधित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग सूचना/ सूचनाओं में वर्णित राशि को वापस लौटाने के लिये कहा था। अधोहस्ताक्षरी ने उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों के अंतिम ज्ञात पते के परिसरों में भी इन सूचनाओं को चिपकवाया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, तथा उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों यदि वे ऐसा चाहें, उक्त प्रतियों को किसी भी कार्य दिवस को सामान्य कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुनः एतद्द्वारा उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त ऋणी द्वारा निष्पादित लिखित में, यदि कोई हो, किसी भी अन्य दस्तावेजों के साथ पठित ऋण अनुबंध के अंतर्गत कॉलम सी में नीचे वर्णित तिथि से भुगतान एवं/अथवा उगाही की तिथि तक उक्त मांग सूचना में वर्णित लागू होने योग्य दरों पर आगे के ब्याज 18 प्रतिशत की दर के साथ यहां नीचे दर्शायी गयी राशि का इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर **एचडीएफसी** को भुगतान कर दें। ऋण की देय पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में क्रमशः उक्त ऋणी द्वारा **एचडीएफसी** के पास निम्नलिखित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को बन्धक रखा गया है:

ऋणी/उधारकर्ता (ओं)/कानूनन वारिस (ओं) /कानूनन प्रतिनिधि (यों) का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13 की उप–धारा(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में प्रतिभूत परिसम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

क्र0 सं0	उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनिधियों का नाम	कुल बकाया धनराशि (रु0)*	मांग सूचना की तिथि	प्रतिभूत परिसम्पत्ति/अचल सम्पत्ति का विवरण
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)
1.	**श्री देवेन्द्र कुमार शुक्ला** **श्रीमती शशि शुक्ला**	**12,24,109/–** दिनांक 30.11.2023 तक	11.01.2024	खसरा नं0 331–एसए मिन के भाग पर प्लाट ग्राम धावां, जिला लखनऊ
2.	**श्री सतेन्द्र सिंह**	**11,06,436/–** दिनांक 30.11.2023 तक	23.01.2024	रो हाउस यूनिट नं कृष्णा–15, ब्लाक "कृष्णा" जीवन गीत, खसरा नं0 182/1, 183, 186 एवं 187, अलीपुर गिझौरी, बुलन्दशहर

* भुगतान और/या वसूली की तिथि तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की लागू दर से ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क सहित। यदि, उक्त ऋणदाता **एचडीएफसी** को उपरोक्त भुगतान करने में विफल होते हैं, तो इस अधिनियम की धारा 13(4) लागू होने योग नियमों के अंतर्गत **एचडीएफसी** लागतों एवं परिणामों के संदर्भ में उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनिधियों की सम्पूर्ण जोखिम पर ऊपर प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियां के प्रति आगे की कार्रवाई करेगी।

इस अधिनियम के अंतर्गत **एचडीएफसी** की पूर्व लिखित सहमति के बिना उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप में उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों का अंतरण नहीं कर सकते हैं।

यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हैं अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों का उल्लंघन करने पर इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत कैद एवं/अथवा दंड हो सकता है।

दिनांकः 31.01.2024
स्थान : लखनऊ

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के लिए
प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बपत मार्ग, लोवर पर्ल (पश्चिम) मुम्बई–400 020

डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

सीआईएन : L65921DL1991PLC043087
पंजीकृत कार्यालयः डी 7/3, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज– II, नई दिल्ली –110020
ईमेल आईडी : info@dfslonline.in | वेबसाइट : www.dfslonline.in | दूरभाषः 011–41077750

डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की असाधारण आम बैठक

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि **डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** ("कंपनी") के सदस्यों की एक असाधारण आम बैठक (ईजीएम) **बुधवार, 28 फरवरी, 2024** को **सरिता सदन, एनएस 3बी, सरिता विहार, सेंट गिरी पब्लिक स्कूल के साथ में, नई दिल्ली –110076** में दोपहर **01:00 बजे** आयोजित होने वाली है। कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों और उसके तहत जारी परिपत्रों के अनुपालन में, ईजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यावसायिक मदों को लेनदेन करने के लिए।

ई–मेल पतों को पंजीकृत करने/अपडेट करने का तरीकाः

डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने अभी तक अपनी ईमेल आईडी को रजिस्ट्रेशन/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे डिमटेरियलाइज्ड शेयरों के मामले में एनएसडीएल/सीडीएसएल ("डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट") से संपर्क करें. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ–65, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–110020 को भेजें या अपने आरटीए को helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर ईमेल के साथ पैन कार्ड और पते के प्रमाण की स्व–सत्यापित प्रतियों के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करें।

सदस्यों को ईजीएम की सूचना में निर्धारित व्यावसायिक वस्तुओं पर दूरस्थ रूप से अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। रिमोट ई–वोटिंग 25 फरवरी, 2024 (सुबह 09:00 बजे) से शुरू होकर 27 फरवरी, 2024 (शाम 05:00 बजे) तक होगी। ई–वोटिंग के उद्देश्य के लिए कट–ऑफ तिथि 23 फरवरी, 2024 होगी। ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने का तरीका, जिसमें भौतिक शेयरधारकों या शेयरधारकों द्वारा शामिल हैं, जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शेयर हासिल किए हैं और नोटिस भेजने के बाद कंपनी के सदस्य बन गए हैं, ईजीएम के नोटिस में प्रदान किया जाएगा। रिमोट ई–वोटिंग को उपरोक्त तिथि और समय से परे अनुमति नहीं दी जाएगी।

कंपनी मतपत्र प्रक्रिया द्वारा मतदान के माध्यम से बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा मतदान के लिए प्रदान करेगी। एक सदस्य दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसे बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक सदस्य जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट–ऑफ तारीख के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल दूरस्थ ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के साथ–साथ आम बैठक में मतदान करने का हकदार होगा।

इस तरह के मतदान के लिए ईजीएम नोटिस और लॉगिन विवरण की प्रति, उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डीपी के साथ नियत समय में पंजीकृत हैं और कंपनी की वेबसाइट यानी https://dfslonline.in/investor.htm पर और स्टॉक एक्सचेंजों जैसे www.bseindia.com बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

शेयरधारक सुश्री सोमाली त्रिवेदी, कंपनी सचिव और कंपनी के अनुपालन अधिकारी से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर या info@dfslonline.in पर लिखकर संपर्क कर सकते हैं

डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
सोमाली त्रिवेदी
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 31.01.2024
स्थानः नई दिल्ली

पुरुषोत्तम इंवेस्टोफिन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : एल–7, मेंज तल, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, दिल्ली–110016
सीआईएन : **L65910DL1988PLC033799**, वेबसाइट : **www.purshottaminvestofin.in**,
ई–मेल : **purshottaminvestofin@gmail.com**, दूरभाष : **011.46067802**

पोस्टल बैलेट की सूचना

एतद्द्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत शासन द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 10/2021 दिनांक 23 जून 2021 एवं 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर 2021, 3/2022 दिनांक 5 मई 2022, 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 एवं 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023 सहित अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 ("प्रबंधन नियमावली") के नियम 20 एवं 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") (समय–समय पर लागू किसी सांविधिक संशोधन(नों) अथवा उसके पुनरअधिनियमन(नों) की धारा 110 एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई, तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 ("सूचीकरण विनियमावली") के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा सामान्य बैठक पर निर्गत साचिविक मानकों के अनुपालन में तथा अन्य लागू विधि–व्यवस्थाओं एवं विनियमों के अनुसार, कंपनी ने एनएसडीएल के माध्यम से एक ई–मेल द्वारा अधिनियम की धारा 102 के अनुपालन में व्याख्यापरक विवरण के साथ पोस्टल बैलेट की सूचना दिनांकित 22 दिसंबर 2023 को मंगलवार 30 जनवरी 2024 को उन सदस्यों को प्रेषित कर दिया है, जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(ट्स) के साथ अथवा कंपनी के अंश अंतरण अभिकर्ता के साथ अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत कर दी है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने पोस्टल बैलेट प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिये कुंदन अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (प्रेक्टिस सर्टिफिकेट नंबर 8325) के प्रोपराइटर सीएस कुंदन अग्रवाल को संवीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए के रूप में नियुक्त किया है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सहमति या असहमति केवल रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया (ई–वोटिंग) के माध्यम से प्रदान करें। कंपनी ने शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए ई–वोटिंग की सुविधा के लिए एनएसडीएल की सेवायें प्राप्त की हैं। ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया पोस्टल बैलेट नोटिस के नोट्स में दी गई है।

ई–वोटिंग अवधि के विवरण इस प्रकार हैं :

विशेष संकल्प : 1. कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती प्रिंसी आनंद (डीआईएन : 10414963) की नियुक्ति।	
कट–ऑफ तिथि	शुक्रवार, 26 जनवरी 2024,
ई–वोटिंग का आरंभ	शुक्रवार, 02 फरवरी 2024 को प्रातः 09:00 बजे (आईएसटी)
ई–वोटिंग का समापन	शनिवार, 02 मार्च 2024 को सायं 05:00 बजे (आईएसटी)

एमसीए परिपत्रों के अनुसार, डाक मतपत्र सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कंपनी के आरटीए / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्यों की सहमति या असहमति का संचार केवल ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से होगा।

एक व्यक्ति जो 'कट–ऑफ तिथि' के अनुसार सदस्य नहीं है, उसे डाक मतपत्र की सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। पोस्टल बैलेट नोटिस की प्रति कंपनी की वेबसाइट **www.ourshottaminvestofin.in** पर और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** पर उपलब्ध है। जिन सदस्यों को पोस्टल बैलेट नोटिस नहीं मिला है, वे इसे उपर्युक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकते हैं।

डीमैटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर को अपने संबंधित डिपॉजिटरी में पंजीकृत करें। भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे आईएसआर–1 और कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड के साथ अपने अद्यतन ईमेल पते और मोबाइल नंबर **info@masserv.com** पर प्रस्तुत करें। किसी भी प्रश्न/शिकायत की स्थिति में आप **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या 022 – 4886 7000 और 022 – 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे को **evoting@nsdl.co.in** पर एक अनुरोध भेज सकते हैं या निम्नलिखित से संपर्क कर सकते हैं :–

विशेष	एमएएस सर्विसेज लिमिटेड	पुरषोत्तम इन्वेस्टोफिन लिमिटेड
पता	टी–34, द्वितीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–।।, नई दिल्ली–110 020	एल–7, मेन्ज फ्लोर, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, दिल्ली–110016
नाम	श्री एसएम मंगला	सीएस अंकित गुप्ता
फोन	फोन :– 011–26387281/82/83	011-46067802
ईमेल	info@masserv.com	Pil.cs0187@gmail.com

पोस्टल बैलेट द्वारा ई–वोटिंग के परिणाम की घोषणा मंगलवार 05 मार्च 2024 को सायं 05:00 बजे या उससे पूर्व कंपनी की वेबसाइट (**www.purshottaminvestofin.in**), एनएसडीएल की वेबसाइट (**www.evoting.nsdl.com**) पर पोस्ट करके और बीएसई लिमिटेड (**www.bseindia.com**) जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, में फाइलिंग करके की जायेगी।

कृते पुरुषोत्तम इंवेस्टोफिन लिमिटेड
हस्ता./–
अंकित गुप्ता
कंपनी सचिव
सदस्यता सं.: ए55201

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30–01–2024

www.readwhere.com